

कार्या.आअ.सं. ईडी/20 /2021
सं.ईडी/58/एमडी/1भाग-6

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम
दिनांक :- 22 .01.2021

कार्यालय आदेश

विषय:- स्थानांतरण के पश्चात पुराने तैनाती स्थल पर रेलवे आवास रोकने बाबत।

संदर्भ:- 1) कर्मचारी श्री मुकेश कुमार का आवेदन दिनांक 21.12.2020.

2) ईडी/1025/17/1 भाग-4 दिनांक 17.12.2020.

3) एसएसई/कार्य/शुजालपुर का पत्र सं. ई/ई/839 दिनांक 22.12.2020

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 17.12.2020 के द्वारा कर्मचारी श्री मुकेश कुमार, सफाईवाला अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक रतलाम का कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पर रतलाम से शुजालपुर में स्थानांतरण किया गया है। कर्मचारी ने दिनांक 22.12.2020 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पर एसएसई/कार्य/शुजालपुर के अधीन कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उक्त स्थानांतरण के कारण कर्मचारी को रतलाम में आवंटित रेलवे आवास सं. 813(डी) घटला कालोनी को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्थानांतरण के आधार पर कर्मचारी के आवेदन के अनुसार 01 माह (दिनांक 22.12.2020 से 21.01.2021) तक के लिये सामान्य दर पर आवास रोकने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इससे आगे अनाधिकृत रूप से आवास को नहीं रोका जाये, अन्यथा पूल इंचार्ज द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यदि इससे आगे आवास रोका जाता है तो अनाधिकृत कब्जा मानकर नियमानुसार कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिथं एरिया)दर से वसूली की जाये और आवास खाली कराने की कार्यवाही पूल इंचार्ज द्वारा आरंभ की जाये।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

रतलाम

प्रतिलिपि

अ.मं.रे.प्र./मु.चि.अ.

व.मं.का.अ./स.का.अ.

मु.का.अ.-ईडी/ईई/ईयू/ईटी/ईएम,

एसएसई/कार्य/शुजालपुर, संबंधित कर्मचारी ,

मंडल मंत्री:- वेरेमसं, वेरेएयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एसो. रतलाम मंडल

उक्त आदेश ई-समाधान पर उपलब्ध है।